न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः— 22/2015 (225 आर. टी. एक्ट)

उनवान

1. हरी सिंह
2. वीरी सिंह
3. प्रेम सिंह
4. तेज सिंह
5. धर्म सिंह

पिसरान रामजीलाल जाति जाट निवासी नगला जटमासी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. रामप्रससाद
2. सोनाराम — पुत्रान घमण्डी
3. हीरा
4. नाहर सिंह पुत्र महाराज सिंह — जाति जाट नि0 नगला जटमासी तहसील रूपवास जिला भरतपुर।
5. बिजेन्द्र
6. बच्चू — पुत्रान अमरचन्द
7. किशन सिंह

.....रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास दिनांक 05.05.2015 उनवानी हरी सिंह बनाम रामप्रसाद मु0न0 179/2014

उपस्थितिः—

1. श्री महाराज सिंह डागुर वकील अपीलांट।
2. श्री दुलीचन्द शर्मा वकील रैस्पोडेण्ट।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय दिनांक :— 08.03.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के आदेश दिनांक05.05.2015 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट/वादीगण ने एक प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस

आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम नगला जटमासी तहसील रूपवास के अपीलाण्ट/वादीगण खातेदार एवं काबिज आराजी हैं। उक्त विवादित आराजी से रैस्पो0/प्रतिवादीगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है। विवादित आराजी अपीलाण्ट/वादीगण को अपने पूर्वज श्री बिहारी पुत्र नकटा से प्राप्त हुई है एवं तभी से अपीलाण्ट/वादीगण विवादित आराजीयात् पर काश्त करते चले आ रहे हैं। अपीलाण्ट/वादीगण एवं रैस्पो0/प्रतिवादीगण के पूर्वजों का नाम बिहारी था। जिसमें अपीलाण्ट/वादीगण के पूर्वज बिहारी पुत्र नकटा था तथा रैस्पो0/प्रतिवादीगण के पूर्वज बिहारी पुत्र नामालूम था, जिसका लाभ उठाकर रैस्पो0/प्रतिवादीगण ने उक्त आराजी को बिना अपीलाण्ट/वादीगण की जानकारी के बिहारी पुत्र नकटा के स्थान पर बिहारी पुत्र नामालुम के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज करा लिया, जो अवैधानिक है। राजस्व रिकार्ड में अंकित उक्त इन्द्राजों के आधार पर दिनांक 08.10.2014 को रैस्पो0/प्रतिवादीगण मौके पर आये एवं अपीलाण्ट/वादीगण को विवादित आराजी से बेदखल करने की धमकी देने लगे। यदि रैस्पो0/प्रतिवादीगण अपने उक्त उद्देश्य में सफल हो गये तो अपीलाण्ट/वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी, जिसकी भरपाई पैसो से नहीं की जा सकती है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रैस्पो0/प्रतिवादीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/वादीगण ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, रूपवास खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिल निरस्तनीय है। विवादित आराजी अपीलाण्ट के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है, जिसे उन्होनें अपने पूर्व बिहारी पुत्र नकटा से उत्तराधिकार में प्राप्त किया है। रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। विवादित आराजी का बिहारी पुत्र नकटा, मालिक व खुद काश्त होल्डर रहा था एवं विवादित आराजी का खुद काश्त होने के कारण राज0 जमींदारी एवं विस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम की धारा 5(4) एवं 20(1) के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए हैं। राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित आराजी बिहारी पुत्र नकटा की खेवट व खुद काश्त की आराजी को गलती से बिहारी पुत्र भोला के वारिसान के नाम कर दिया है, जो अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश बिल्कुल शून्य है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार का प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति आदि का कोई वर्णन नहीं किया है एवं मनमाने तरीके से प्रार्थना पत्र अपीलाण्ट खारिज करने में विधिक त्रुटि की है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए, मूल दावा के निर्णय होने तक अपीलाण्ट के पक्ष में स्थगन आदेश जारी किये जाने का निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने जवावी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। अपीलाण्ट एक चालाक किस्म का व्यक्ति है, जो अपने पूर्वज का नाम बिहारी पुत्र नकटा होने की आड में झूठे मुकदमे वाजी के आधार पर अवांछित लाभ प्राप्त करना चाहता है। विवादित आराजी रैस्पो0 के स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी है जो उन्हें विरासतन अपने पूर्वज बिहारी पुत्र भोला से प्राप्त हुई है। रैस्पो0 अपने पूर्वजो के समय से ही विवादित आराजी पर कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं एवं राजस्व रिकार्ड में रिकार्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज है। अपीलाण्ट का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार ना तो पूर्व में रहा है एवं ना ही वर्तमान में है। अपीलाण्ट ने मात्र काल्पनिक तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपीलाण्ट/वादीगण विवादित आराजी को अपने पूर्वज बिहारी पुत्र नकटा से विरासतन प्राप्त होना कथन करते हुए, अपना कब्जा काश्त बताते हैं। परन्तु उनके द्वारा उक्त कथन को सिद्ध करने हेतु कोई दस्तावेजी साक्ष्य यथा जमाबन्दी, खसरा गिरदावरी आदि प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसमें विवादित आराजी पर बिहारी पुत्र नकटा खातेदार काश्तकार रहें हों अथवा उनका कब्जा काश्त अंकित हो। दूसरी ओर रैस्पो0/प्रतिवादीगण की ओर से वक्त बहस प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत 1985 में विवादित आराजी बिहारी बल्द भोला के नाम अंकित है। अतः एक रिकार्डेड खातेदार को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना हम उचित नहीं समझते हैं। लिहाजा प्रथम दृष्टया प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अपीलाण्ट के पक्ष में साबित नहीं होती हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपवास का निर्णय दिनांक 05.05.2015 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 08.03.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर